के.22019/4/2018-ईओयू
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
ईओयू अनुभाग
*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 5 सितंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनॉक 12.09.2018 को आयोजित होनेवाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 4थी बैठक (2018 सीरीज) -एजेंडा अग्रेषित करने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को दिनॉक 12.09.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे,कमरा सं 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होनेवाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 4थीं बैठक (2018 सीरीज) के एजेंडा मदों की प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

(जी.श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आय कर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सुक्ष्म,लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8. सभी डीसी

प्रतिलिपि : सचिव के पीएसओ/एएस (बीबीएस) के निजी सचिव/उप निदेशक (एसएनएस) के निजी सचिव

दिनॉक 12.09.2018 को प्रात: 11.30 बजे, कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होनेवाली ईओयू स्कीम के लिए 4थीं बीओए बैठक (2018 सीरीज) के लिए एजेंडा

.....

4 .1 (18) 19 .0 6 .2018 को आयोजित 3री बीओए (2018 सीरीज) की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

4 .2 (18) मैसर्स निकी इण्डिया फ्यूल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत एक ईओयू एफ़टीपी के पैरा 6.01 (के) के शब्दों में वस्तुओं के समेकन के लिए अनुमति के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स निकी इंडिया फ्यूल सिस्टम्स प्रा लिमिटेड, तमिलनाडु में स्थित एक 100% ईओयू को 'कार्बोरेटर' के निर्माण और निर्यात के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया था। यूनिट ने 3.12.2012 को अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। यूनिट के एलओपी को 3.12.2017 से दूसरे पंचवर्षीय अवधि के लिए डीसी एमईपीजेड द्वारा नवीनीकृत किया गया था और यह 2.12.2022 तक वैद्य है।

यूनिट ने सहायक भागों जैसे 'ओ- रिंग' और 'गैस्केट स्पेसर' को उनके उत्पादित उत्पाद अर्थात 'कार्बोरेटर' के साथ विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 6.01 (के) के संदर्भ में समेकन के रूप में निर्यात करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है।

इकाई ने सूचित किया है कि सहायक भाग 'ओ-रिंग' रबर से बना है और 'गैस्केट स्पेसर' प्लास्टिक से बना है। इसलिए, जब भी ओ -रिंग और गैस्केट स्पेसर को कार्बोरेटर के साथ इकट्ठा किया जाता है और एक साथ निर्यात किया जाता है, तो पारगमन के दौरान कंटेनर के अत्यधिक गरम होने के कारण , ओ- स्प्रिंग्स पिघल जाती है और प्लास्टिक गैस्केट स्पेसर में फंस जाती है जिससे कार्बोरेटर में रिसाव होता है। इस क्षति के कारण, इकाई से खरीदार दावा वारंटी जिसके परिणामस्वरूप इकाई के लिए भारी राजस्व की हानि होती है।

सहायक भाग "ओ -रिंग" और "गैस्केट स्पेसर" का मूल्य उत्पादित वस्तु अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 में कार्बोरेटर के एफओबी मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2017-18 के लिए सीए प्रमाणित एपीआर के अनुसार , इकाई ने 4,483.02 लाख रुपये का निर्यात किया है। निर्यात का 5% लगभग 224.15 लाख रुपये है I

वर्ष 2018-19 के दौरान विनिर्मित वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पाद के साथ निर्यात किए जाने वाले सहायक हिस्सों का 224.15 लाख मूल्य रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

<u>एफ़टीपी के प्रासंगिक प्रावधान:</u> एफ़टीपी 2015-20 के पैरा 6.01 (के) के अनुसार (जैसा कि 05.12.2017 को संशोधित किया गया है):

" बीओए मामला दर मामला के आधार पर, विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं के एकीकरण के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ निर्यात के लिए रत्न और आभूषण के अलावा अन्य क्षेत्रों में ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाइयों के अनुरोधों को अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को शुल्क और/ अथवा करों के भुगतान के साथ अथवा बिना ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/खरीद करने की अनुमति दी जा सकती है जैसाकि उपरोक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) एवं (iii) में प्रदान किया गया है, जैसा कि मामला पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इकाई द्वारा निर्यात किये गये ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के 5% एफओबी मूल्य की सीमा तक हो सकता है। ईओयू द्वारा उत्पादित खरीद / आयातित सामान और वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेजों में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में, एनएफई और डीटीए बिक्री एंटाइटेलमेंट की गणना के लिए खरीदे गए / आयातित सामानों का मूल्य ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ऐसे खरीद / आयातित सामानों को डीटीए में बेचा जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीओए किसी भी अन्य शर्तों को निर्दिष्ट कर सकते हैं "।

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, एमईपीजेड ने एफ़टीपी के पैरा 6.01(के) के संदर्भ में विनिर्मित वस्तुओं के साथ सहायक भागों के निर्यात के लिए उनके एकीकरण के लिए यूनिट के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

4.3 (18) मैसर्स एरिस फार्मा प्रा लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत एक ईओयू - 25.7.2018 से 24.7.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति के पत्र की वैधता के विस्तार के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स एरिस फार्मा प्रा. लिमिटेड को तेलंगाना में " 1) ठोस पदार्थ का निर्माण करने 2) तरल पदार्थ का निर्माण करने और 3) उपरोक्त फार्मा उत्पादों हेतु आर एंड डी सेवाओं" के विनिर्माण एवं निर्यातके लिए 100% ईओयू की स्थापना करने के लिए 25.7.2014 को एलओपी जारी किया गया था। इकाई ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है और एलओपी की वैधता 24.7.2018 को समाप्त हो गई है।

एचबीपी के पैरा 6.01 (ख) के संदर्भ में एलओपी 25.7.2014 से 24.7.2016 तक वैध था । इसे डीसी, वीएसईजेड द्वारा 2 9 .7.2016 को 25.7.2016 से 24.7.2017 तक बढ़ाया गया था और

आगे 17.10.2017 को आयोजित बैठक में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा 25.7.2017 से 24.7.2018 तक विस्तारित किया गया था।

दिनांक 05.07.2018 के पत्र के जरिये यूनिट ने 3 साल की अवधि के लिए अपने एलओपी के विस्तार के लिए अनुरोध किया था। यूनिट ने सूचित किया कि आवश्यक आर एंड डी और यूएसएफडीए से इसकी मान्यता और अनुमोदन के लिए लगभग 3 साल लगते हैं जिसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा।

चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट को संलग्न करते हुए 17.8.2018 के अपने पत्र के अनुसार यूनिट ने कहा कि पिछले 12 महीनों के दौरान, उन्होंने नियामक अनुमोदन के लिए 2 दस्तावेज जमा किए थे तथा तीन और उत्पाद अगले वर्ष में जमा करने के लिए पाइपलाइन में हैं। इकाई ने पिछले साल से 3 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और अब तक किए गए कुल निवेश 22 करोड़ रुपए हैं। इकाई ने अनुमान लगाया है कि उत्पादन 2019 की दूसरी छमाही से शुरू होगा इकाई ने सूचित किया कि यूएसएफडीए से आवश्यक अनुसंधान और विकास तथा इसके सत्यापन और अनुमोदन में 3 साल लग जाते हैं, जिसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा।

एफ़टीपी / एचबीपी के प्रासंगिक प्रावधान : - एचबीपी 2015-2020 के पैरा 6.01 (ख) (ii) के संदर्भ में (जैसा कि 05.12.2017 को संशोधित किया गया है):

"अनुमोदन पर, अनुमति पत्र (एलओपी) / आशय पत्र (एलओआई) डीसी / नामित अधिकारी द्वारा ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाई को जारी किया जाएगा। यूनिट को संयंत्र बनाने और मशीनरी स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए एलओपी/ एलओआई के पास 2 साल की प्रारंभिक वैधता होगी और इस समय तक इकाई को उत्पादन शुरू करना चाहिए । यदि इकाई 2 साल की प्रारंभिक वैधता में उत्पादन शुरू करने में सक्षम नहीं है, तो लिखित में दर्ज होने के वैध कारणों के लिए डीसी द्वारा एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा एक वर्ष के बाद का विस्तार इस शर्त के अधीन दिया जा सकता है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियां पूर्ण हैं और इस प्रभाव के लिए चार्टर्ड अभियंता का प्रमाणपत्र यूनिट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो आगे विस्तार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। जैसे ही यूनिट उत्पादन शुरू करती है, जारी की गई एलओपी/ एलओआई इसकी गतिविधियों के लिए 5 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। इस अवधि को डीसी द्वारा एक समय में 5 साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है "।

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, वीएसईजेड ने 25.7.2018 **से** 24.7.2019 **तक, एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए अपने एलओपी की वैधता के विस्तार की सिफारिश की है।**

4 .4 (18) मैसर्स वेलनर (इंडिया) प्रा लिमिटेड एमईपीजेड के तहत एक ईओयू - 5 साल की अवधि के लिए अपनी ईओयू दर्जे के नवीनीकरण के लिए बीओए की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स वेलनर (इंडिया) प्रा लिमिटेड एमईपीजेड के तहत एक ईओयू को स्टेनलेस स्टील से बने टेबलवेयर उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 29.7.2001 **को सं.ए /** 2001/043 / **ई0 यू-टीएन के जरिये एलओपी जारी किया गया था और यूनिट का डीसीपी** 1.12.2004 **को था और** 30.11.2009 **को** 5 **साल का पहला ब्लॉक पूरा किया। युनिट के एलओपी को डीसी, एमईपीजेड द्वारा** 01.12.2009 **से दूसरे पंचवर्षीय अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था और यह** 30.11.2014 **तक वैध था।**

इकाई ने 15.02.2016 **के पत्र के जरिये** 5 **साल की अगली अवधि** (6 **महीने के अंतराल के बाद) के लिए यानी** 01.12.2014 **से** 30.11.2019 **तक तीसरी** 5 **साल की ब्लॉक अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के लिए अनुरोध किया गया है।**

200 9 -10 **से** 2013-14 **तक** 5 **वर्षों के दूसरे ब्लॉक के लिए प्रस्तुत की गई एपीआर के आधार पर गणना की गई यूनिट की एनएफई (-)** 51.11 **लाख रू थी।**

यूनिट को 27.3.2014 **को सकारात्मक एनएफई** [**एनएफई (-**51.11) **था**] **की गैर प्राप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और** 13.6.2014 **को 50**,**000/-रू का जुर्माना लगाते हुए यूनिट को मूल में ऑर्डर जारी किया गया था। यूनिट ने दंड का भुगतान किया था और** 11.8.2014 **को मूल आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण को अपील की थी। इकाई का एलओपी** 30.11.2014 **को समाप्त हो गया था। इकाई ने** 6 **महीने के अंतराल के बाद** 15.2.2016 **को तीसरी पंचवर्षीय ब्लॉक अवधि के लिए अपनी ईओयू स्थिति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। अपर डीजीएफटी ने मूल आदेश के संबंध में एक आदेश पारित किया और मूल आदेश को विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड को जांच के लिए भेज दिया गया और फिर यूनिट को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद उचित आदेश पारित किया गया। यूनिट को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद विकास आयुक्त एमईपीजेड एसईजेड ने** 12.02.2017 **को आरोपों को हटाने का आदेश पारित किया।**

इकाई फिर से 01/02/2018 **को तीसरी** 5 **साल की ब्लॉक अवधि के लिए ईओयू की स्थिति के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है और** 01.12.2014 **से** 30.11.2019 **तक**

एक ही ब्लॉक अवधि के लिए 310.00 **लाख रुपये की सकारात्मक एनएफईई का अनुमान लगाया है।**

<u>एफ़टीपी के प्रासंगिक प्रावधान:</u> **एचबीपी** 2015-20 **के पैरा** 6.01 **(ख) के** (i) **(जैसा कि** 05.12.2017 **को संशोधित किया गया है):**

" परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष" 6क में दर्शाये गये मापदण्ड और परिशिष्ट एवं एएनएफ के परिशिष्ट 6ख में अनुमोदन से संबंधित क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के अनुसार इकाई अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिनों के भीतर ईओयू स्कीम के तहत इकाईयों की स्थापना करने के लिए आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा। अन्य मामलों में बीओए के द्वारा मंजूरी के बाद डीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। "

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, एमईपीजेड ने बीओए के विचार के लिए तीसरी 5 **साल की ब्लॉक अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है ।**

<u>भाग II</u>

<u>वर्ष 1 99 5 के प्रेस नोट नंबर 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन दिये गए</u>

क	**जून**, 2018 **से जुलाई**, 2018 **की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए।**	**वीएसईजेड**
ख	01.06.2018 **से** 01.08.2018 **की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए ।**	**सिप्ज**